मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १५ सन् २०१६

मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, २०१६

मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, १९७६ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, २०१६ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा ३-ख का स्थापन.

२. मूल अधिनियम की धारा ३-ख के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

प्रवेश कर के संग्रहण के लिए विशेष उपबंध.

"३-ख. (१) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, भारत में निर्मित विदेशी मदिरा, बीयर और धारा ३ की उपधारा (२) के अधीन अधिसूचित माल के संबंध में, प्रवेश कर का संग्रहण करने और उसे राज्य सरकार को चुकाने हेतु रीति विनिर्दिष्ट कर सकेगी और ऐसे निबंधनों तथा शर्तों पर, जो कि उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, सक्षम प्राधिकारी या माल का परिवहन करने वाले व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगी.

(२) यदि माल का परिवहन करने वाला कोई व्यक्ति उपधारा (१) के अधीन यथा अपेक्षित कर की राशि पूर्णतः या अंशतः, संग्रहण करने में असफल रहता है या संग्रहण करने के पश्चात् उसे राज्य सरकार को चुकाने में असफल रहता है तो वह ऐसे कर के संबंध में, ऐसे व्यतिक्रम के लिए कर का भुगतान करने के लिए दायी समझा जाएगा और वह कर के अतिरिक्त ३ प्रतिशत प्रतिमाह से अनधिक की ऐसी दर से, जैसी कि विनिर्दिष्ट की जाए, ब्याज का भुगतान करने का दायी होगा.

(३) ऑनलाइन शापिंग या ई-व्यापार के अनुसरण में, मध्यप्रदेश राज्य में राज्य के बाहर से माल का परिवहन करवाने वाला व्यक्ति ऐसे प्ररूप में जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए एक पत्रक अभिप्राप्त करेगा और अपने साथ रखेगा. यदि ऐसा व्यक्ति इस अपेक्षा का पालन करने में असफल रहता है, तो कोई जांच चौकी अधिकारी, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) की धारा ५७ की उपधारा (५) के अधीन प्राधिकृत कोई अधिकारी या ऐसे व्यक्ति का कर निर्धारण करने के लिए प्राधिकृत कोई अधिकारी, इस धारा के अधीन शास्ति अधिरोपित करने की कार्यवाही प्रारंभ कर सकेगा. यदि इस धारा के अधीन किसी जांच चौकी अधिकारी या मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) की धारा ५७ की उपधारा (५) के अधीन प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा उस माल के कारण शास्ति अधिरोपित की गई है जिसके लिए व्यक्ति ने विनिर्दिष्ट पत्रक अभिप्राप्त नहीं किया है या अपने साथ नहीं रखा है, तो ऐसे व्यक्ति के कर निर्धारण के दौरान ऐसे माल के कारण कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी:

परन्तु यदि माल का परिवहन करने वाले व्यक्ति ने मध्यप्रदेश राज्य में प्रवेश करने के पूर्व, पत्रक का पूर्ण विवरण विभाग के अधिकृत वेब पोर्टल पर अपलोड करा दिया है, तो यह समझा जाएगा कि उसके द्वारा पत्रक प्राप्त करने और अपने साथ रखने की अपेक्षा का अनुपालन कर दिया गया है.

(४) उपधारा (३) के अधीन कार्यवाहियां, उपधारा (३) के अधीन विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा माल का परिवहन करने वाले व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने हेतु नोटिस जारी कर आरम्भ की जाएंगी. ऐसे व्यक्ति को सुनने के पश्चात् तथा ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह उचित समझे, यदि प्राधिकृत अधिकारी का समाधान नहीं होता हैं तो वह माल का परिवहन करने वाले व्यक्ति को यह निर्देश देते हुए यह आदेश पारित करेगा कि वह शास्ति के रूप में ऐसी धनराशि का भुगतान करे, जो ऐसे माल पर, जिसके लिए उसने पत्रक नहीं रखा है, देय कर के दो गुने से कम किन्तु तीन गुने से अधिक नहीं होगी.

(५) माल का परिवहन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का कर निर्धारण, आयुक्त द्वारा यथा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए पृथक्-पृथक् किया जाएगा. माल का परिवहन करने वाले व्यक्ति पर, इस अधिनियम के कर निर्धारण, वसूली, अपील और पुनरीक्षण के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे.

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजन के लिए,—

(एक) ''माल का परिवहन करने वाला व्यक्ति'' से अभिप्रेत है परिवहनकर्ता, कोरियर, अभिकर्ता या माल का परिवहन करने वाला कोई अन्य व्यक्ति और स्वामी के अतिरिक्त सम्मिलित हैं, प्रबन्धक, अभिकर्ता, वाहन चालक, स्वामी का कर्मचारी, माल के चढ़ाने या उतारने के स्थान का भारसाधक व्यक्ति या अन्य स्थानों को भेजे जाने के लिए ऐसे माल को ले जाने वाले माल वाहक यान का भारसाधक व्यक्ति या परेषिती को ऐसे माल का कोई परेषण परिदत्त करने वाला व्यक्ति;

(दो) ''ऑनलाइन शॉपिंग या ई-व्यापार'' से अभिप्रेत है, इन्टरनेट या टेलीफोन के माध्यम से माल का क्रय और विक्रय.''.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

विधान सभा में वर्ष २०१६-१७ के लिए बजट प्रस्तुत करते समय माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा दिए गए भाषण के भाग दो में अंतर्विष्ट कर प्रस्तावों को क्रियान्वित करने के लिए, मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, १९७६ (क्रमांक ५२ सन् १९७६) में समुचित संशोधन किए जाने हैं.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
दिनांक १८ जुलाई, २०१६.

जयंत मलैया
भारसाधक सदस्य.

''संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.''

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, २०१६ के खण्ड-२ द्वारा प्रवेश कर का संग्रहण करने और उसे राज्य सरकार को चुकाने हेतु रीति विनिर्दिष्ट करने, निबंधन तथा शर्तें तय करने एवं सक्षम प्राधिकारी नियुक्त करने, ऑनलाइन शॉपिंग एवं ई-व्यापार के संबंध में पत्रक निर्धारित करने तथा कर चुकाने में व्यतिक्रम के लिए कर के अतिरिक्त ब्याज का भुगतान करने के संबंध में ब्याज की दर तय करने के लिए राज्य सरकार को विधायनी शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जा रहा है जो सामान्य स्वरूप की होगी.

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

उपाबंध

मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, १९७६ से उद्धरण.

* * *

धारा ३-ख. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, भारत में निर्मित विदेशी मदिरा और बीयर तथा धारा ३ की उपधारा (२) के अधीन अधिसूचित माल के संबंध में, ऐसे निर्बन्धनों तथा शर्तों पर, जैसी कि उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, प्रवेश कर के संग्रहण हेतु रीति विनिर्दिष्ट कर सकेगी और सक्षम प्राधिकारी नियुक्त कर सकेगी.

* * *

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.